भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3429

दिनांक 05 अगस्त, 2016 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केन्द्रों का डिजीटलीकरण

3429. श्री अशोक शंकरराव चव्हाणः
डॉ. भारतीबेन डी. श्यालः
श्री सुधीर गुप्ताः
कुँवर हरिवंश सिंहः
श्री एस.आर. विजय कुमारः
डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ः
श्री शेर सिंह गुबायाः
श्री रवीन्द्र कुमार रायः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माता की समयोचित निगरानी के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों (एडब्ल्यूसी) का डिजीटलीकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इस संबंध में क्या प्रगति हुई है और इस संबंध में कार्य कब तक पूरा होगा;

(ग) प्रस्तावित कार्य पर कितनी राशि खर्च की गई/की जाएगी;

(घ) एडब्लयूसी के कार्यकरण और सेवा सुपुर्दगी को बेहतर बनाने से इसमें क्या लाभ मिलेगा; और

(ङ) देश में एडब्लयूसी के जरिए विनिर्माण और वितरण की मानकीकृत प्रक्रिया के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को दिए गए सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्त उपलब्धता के साथ स्वच्छ आहार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रीमती कृष्णा राज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(क) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 8 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिक कुपोषण से प्रभावित 162 जिलों में अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) की सहायता से आईसीडीएस प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं पोषण सुधार परियोजना (आईएसएसएनआईपी) कार्यान्वित कर रहा है । 29 सितम्बर, 2015 को यह परियोजना पुनर्गठित की गई है । पुनर्गठित आईएसएसएनआईपी जो 30.12.2017 को समाप्त होगी, के तहत एक प्रमुख गतिविधि के रूप में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी समर्थित रियल टाइम निगरानी (आईसीटी-आरटीएम) शामिल है । आईसीटी-आरटीएम को एक अनुकूलित आईसीडीएस - कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (आईसीडीएस-सीएएस) द्वारा संचालित किया जाना है । यह आईएसएसएनआईपी राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सैक्टर पर्यवेक्षक के स्तर पर एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से प्रचालित होगा । यह व्यक्तिगत बाल लाभार्थियों की खोज-खबर लेने में आईसीडीएस प्रणाली को समर्थ बनाएगा । आईसीटी-आरटीएम का उद्देश्य आईसीडीएस की सेवाप्रदायगी प्रणाली में सुधार लाना है जिससे आईसीडीएस लाभार्थियों अर्थात 6 साल की आयु तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के संबंध में पोषण परिणामों में वृद्धि होने की उम्मीद है ।

(ख) : आर्थिक कार्य विभाग और अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) के बीच संशोधित एवं पुन: बहाल वित्त पोषण करार पर 29.9.2015 को हस्ताक्षर किए गए हैं । इस मंत्रालय ने 18.3.2016 को पुनर्गठित आईएसएसएनआईपी के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं दिशानिर्देश जारी किए हैं । आईसीडीएस - सीएएस का विकास किया गया है तथा यह उपयोग के लिए तैयार है । सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी समर्थित रियल टाइम निगरानी (आसीटी-आरटीएम) का 25.5.2016 को शुभारंभ किया गया है । प्रतिभागी राज्यों ने अपनी रोल आउट योजनाएं एवं प्रशिक्षण योजनाएं तैयार की हैं । उन्होंने मास्टर प्रशिक्षकों का भी चयन कर लिया है जो आईसीडीएस के अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को प्रशिक्षण देंगे । इस समय राज्य मोबाईल डिवाइसें प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं ।

(ग) : पुनर्गठित आईएसएसएनआईपी की कुल परियोजना लागत 78744.71 लाख रुपये है । इसमें से 22521.61 लाख रुपये की राशि को आईसीटी-आरटीएम पर खर्च करने की परिकल्पना है ।

(घ) : आईएसएसएनआईपी का समग्र लक्ष्य समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) नीति रूपरेखा, प्रणालियों एवं सक्षमताओं को सुदृढ़ करना तथा समुदाय की भागीदारी को सुगम बनाना, 3 साल से कम आयु के बच्चों पर अधिक फोकस सुनिश्चित करना और पोषण परिणामों में सुधार के लिए अभिसारी कार्रवाइयों को सुदृढ़ करना है । आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्य प्रणाली तथा सेवाप्रदायगी में सुधार में आईसीटी-आरटीएम से निम्नानुसार लाभ प्राप्त होने की परिकल्पना है :

i. मोबाइल प्रौद्योगिकी के प्रयोग से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा सेवा प्रदायगी में सुधार में मदद करना;
ii. आंगनवाड़ी केंद्रों में सेवा प्रदायगी पर तथा बच्चों के विकास एवं पोषण स्तर पर रियल टाइम सूचना प्रदान करना;
iii. बाल लाभार्थियों की व्यक्तिगत खोज-खबर;
iv. जहां भी और जब भी जरूरत हो, समय से उपायों का क्रियान्वयन संभव बनाना और विशिष्ट क्षेत्रों में पोषण स्तर में सुधार के लिए अपेक्षित उपायों को प्राथमिकता एवं दिशा देना;
v. आईसीडीएस रजिस्टरों का स्वत: सृजन जो इस समय आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा दस्ती रूप में संकलित किए जाते हैं तथा अनेक रजिस्टरों में डाटा प्रविष्टि में समय बचाने में आईसीडीएस स्टाफ की मदद करना जिससे वे परामर्श पर अधिक बल देने सहित आईसीडीएस सेवाओं की प्रदायगी पर अधिक समय दे सकेंगी;
vi. सभी लाभार्थियों तक समय से पहुंचने में सहायता करना;
vii. अंतरनिर्मित परामर्श सहायक सामग्रियों, अलर्ट तथा विकास चार्टों एवं देय सूचियों के स्वत: सृजन के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के काम में सहायता प्रदान करना;
viii. रियल टाइम डाटा एकत्र करने में मदद करना जो विभागीय अधिकारियों द्वारा सुगमकारी पर्यवेक्षण एवं समय से हस्तक्षेप को संभव बनाता है ।

(ड.) : सरकार ने आईसीडीएस स्कीम में पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के लिए "संशोधित पोषण एवं आहार मानक" जारी किया है जिसमें एसएनपी के तहत संस्तुत आहार भत्ता के अनुसार मानकों को पूरा करने वाले आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ घर ले जाने वाले राशन (टीएचआर) के प्रबलीकरण का प्रावधान है । दिशानिर्देशों में यह भी प्रावधान है कि सुरक्षित पेयजल का उपयोग करके तथा साफ-सफाई रखते हुए समुचित किचन शैड में गरम पका भोजन तैयार किया जाए । इसके अलावा, आईसीडीएस में खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता के लिए प्रचालन दिशानिर्देश भी मंत्रालय द्वारा 24.12.2013 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए हैं ।

*****